[Shri Sinhasan Singh]

Education has been made a State subject. The University Grants Commission gives assistance to the States regarding education on a fifty-fifty basis. The States are not able to raise the matching amount and the result is that the money given by the Centre is not utilised. Similarly the subject of food is not dealt with on a country wide basis.

The conditions as at present demand that this Bill should be circulated for eliciting opinion thereon and then we should reconsider it. I think that as a step towards unitary form of Government we should have zonal system and do away with the States.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Today the States are having conflicts with each other on the trivial issues of river waters etc. Some arrangements should be made to curb these evil tendencies.

चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : CHINESE NOTE

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादूर शास्त्री) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह चीन सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि हमें 3 दिन के अन्दर अन्दर अपने सैनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देना चाहिए जो कि उनके कहने के अनुसार उनकी सीमा में स्थित हैं। पत्र के संबंधित भाग को सभा की जानकारी के लिए पढ कर सुनाता हूं यद्यपि मैं इसको और इस पत्र पर हमारे उत्तर को सभा पटल पर रख दूंगा।

1962 में युद्धविराम के बाद से भारत ने 300 से अधिक सीमा उल्लंघन किये हैं। चीन सरकार ने बार बार शिकायत की है और तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। चीन सरकारने भारत द्वारा चीन की ओर अवैध सैनिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के संबंध में चार बार संयुक्त जांच का सुझाव दिया है, परन्तु भारत सरकारने हर बार इस सुझाव को ठुकराया है। अब भारत सरकार यह बहाना लगाती है कि केवल एक स्वतंत्र तथा तटस्थ प्रेक्षक को ही इसकी जांच करनी चाहिए। और भी भारत सरकार को यह कहते शर्म नहीं आती कि भारतीय सैनिकों ने सिक्किम-चीन सीमा को कभी पार नहीं किया और यह कि भारत ने चीन की ओर कोई सैनिक प्रतिष्ठान नहीं बनाया है। यह सफेद झूट है।

"छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठानों को मिला कर इस समय ऐसे 56 सैनिक प्रतिष्ठान हैं। चीन सरकार ने भारत सरकार को 13 विरोधपत्र भेजे हैं, परन्तु भारत सरकार ने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया है और चीन की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के लिए उसके मनमें कोई सम्मान नही है। अपनी आक्रमणकारी कार्यवाहीयों को रोकने की बजाये भारत सरकार ने उलटा अपने सैनिकों को चीनी प्रदेश में घुसपैठ करने का आदेश दे दिया है।"

हमने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्धित अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"चीन सरकार द्वारा भारत पर अक्तूबर-नवम्बर 1962 में अकारण हमले से पहले और इसके बाद भी भारत सरकार भारत-चीन सीमा समस्या को शांति पूर्वक सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

जैसा कि चीन सरकार को अब तक भेजे गये पत्रों में बताया गया है, भारत सरकार ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को कड़ी हिदायतें दे रखी हैं कि वे पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा पश्चिमी क्षेत्र में तथा कथित वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को पार न करें। बड़ी ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच के पश्चात भारत सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय कर्मचारियों और विमानों ने अपने अनुदेशों का पूरी परह पालन किया है और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को कभी भी तथा किसी भी स्थान पर पार नही किया है । चीन सरकार के पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। भारत सरकार इन आरोपों को नहीं मानती है और इस बात को दोहराती है कि वह चीन के पत्र में सीमा के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश पर किये गये दावे को स्वीकार नही करती है। जहां तक काश्मीर तथा वर्तमान भारत-पाकिस्तान विवाद के बारे में चीन के रुख का संबंध है यह और कुछ नहीं बल्कि चीन जानबुझ कर झगडे को बढाना चाहता है और हस्तक्षेप करना चाहता है।"

सितम्बर, 1962 में भारत चीन सीमा के सिक्किम की ओर कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान बनाए गये थे। नवम्बर, 1962 में युद्धविराम के बाद से इन प्रतिष्ठानों पर हमारा कब्जा नहीं है। क्योंकि चीन सरकारने यह आरोप लगाया था कि ये प्रतिष्ठान उनकी ओर हैं, भारत सरकार ने अपने 12 सितम्बर के पत्र में यहां तक कहा था कि किसी स्वतंत्र प्रेक्षक को इसकी जांच करने दी जाये। चीन सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है अपनी संयुक्त निरिक्षण की बात को दोहराया है। चीन को आक्रमणकारी कार्यवाही करने का बहाना न मिले इस ख्याल से हम उन्हें सुचित कर रहे हैं कि संयुक्त निरीक्षण पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हम आशा करते हैं कि चीन वर्तमान स्थिति से फायदा उठा कर भारत पर हमला नहीं करेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम पूरी तरह सतर्क हैं और यदि हम पर हमला किया गया तो हम अपनी स्वतंत्रता के लिये दृढ निश्चय के साथ लडेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टिकरण चाहता हूं।(**अन्तर्बाधा**).....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मैं समझता हूं कि हमें, इस समय कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अब हम प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभा यही चाहती है।

क्या अब सभा गैर-सरकारी कार्यवाही पर विचार करना चाहेगी ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 20 सितम्बर, 1965/29 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Monday, September 20, 1965/Bhadra 29, 1887 (Saka).

GIPN—S6—37 Lok Sabha/65—1-7-66—600.